Regarding meeting notice of 65th Academic Council.

From: Deputy Registrar (dracademic1@yahoo.in)

To: vcmdsuajmer@gmail.com; drbhartijain27@rediffmail.com; shivprasadfms@gmail.com; sdsingh449@gmail.com; mankum122@gmail.com; drvsharmaa@yahoo.com; nsingh_ncert@rediffmail.com; mehra_rita@rediffmail.com; profneerajbhargava@gmail.com; hod_microbiology@mdsuajmer.ac.in; drpraveenmathur@gmail.com; arvind.pareek@mdsuajmer.ac.in; subhash.chandra@mdsuajmer.ac.in; dce.egov@gmail.com; principal@sophiacollegeajmer.in; stardeoli@gmail.com; blvermaudaipur@gmail.com; drsubrotodutta@gmail.cor jaroli28@gmail.com

Date: Tuesday, 30 March, 2021, 04:02 pm GMT-7

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a Agenda with Annexure of 65th Academic Council which will be held on April 07, 2021 at 3-00 PM.

Thanking you.

Yours truly

Asstt. Registrar (Acad-I)

65th Academic Council meeting notice with agenda.pdf
2.5MB

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक एफ– (65) शैक्ष–प्रथम / मदसविवि / 2021 / 6491–6514 दिनांक :– 30.03.2021

1. माननीय कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
2. प्रो. भारती जैन, संकायाध्यक्ष–स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
3. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष–महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
4. प्रो. शिव दयाल सिंह, विभागाध्यक्ष–अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष–प्रबन्ध अध्ययन संकाय, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
6. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष–विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष–रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो–इन्फोरमेटिक्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
7. डॉ0 विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष–विधि संकाय, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर ।
8. डॉ0 नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष–शिक्षा संकाय, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ।
9. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
10. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
11. प्रो. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
12. प्रो. प्रवीण माथुर, संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण केन्द्र एवं विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग,म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
13. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष– वनस्पतिशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
14. प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।
15. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
16. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
17. डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर ।
18. मोहम्मद इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला–टौंक।
19. श्री शंकर लाल, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर ।
20. प्रो. बी.एल. वर्मा, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।

विषयः– विद्या परिषद् की 65वीं बैठक की सूचना बाबत् ।

महोदय,

विद्या परिषद् की 65वीं बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को अपरान्ह 3.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित बृहस्पति भवन के उपनिषद कक्ष में आहूत की जायेगी ।

इस पत्र के साथ बैठक की मुख्य कार्यसूची (एजेण्डा) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया निश्चित दिनांक व समय पर बैठक में पधारने का कष्ट करें ।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

कुलसचिव

98 30/3/21

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 65वीं बैठक
मुख्य कार्यसूची (एजेण्डा)

दिनांकः 07 अप्रैल, 2021

समयः अपरान्ह 3.00 बजे

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 1	डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 18 (2)/शिक्षा-4/2019 पार्ट जयपुर दिनांक 04.03.2021 पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	शैक्षणिक-I
मद सं0 2	अन्य मद माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से ।	

30/3/21

कुलसचिव

पद संख्या ...01...
विज्ञप्ति संख्या ..01...

Most-Urgent

CE
AR (Acad.I)
PS to VC

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक: प.18 (2) / शिक्षा–4 / 2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक 4.3.2021

05/03/21

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।

AR (Exam.)
6/3/2

विषय : सत्र 2020–21 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन, परिणामों की घोषणा एवं पाठ्यक्रम के संबंध में कार्ययोजना बनाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड–19 के प्रभावस्वरूप विश्वविद्यालयों की सत्र 2020–21 की वार्षिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, परीक्षाओं का आयोजन तथा परिणामों की घोषणा आदि पर विचार–विमर्श करने हेतु दिनांक 17.02.2021 को आयोजित ई–मीटिंग में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार कार्ययोजना बनाकर लागू करने को उपयुक्त पाया गया है:–

1. वार्षिक परीक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रमों को यथावत रखते हुए प्रश्नपत्र की यूनिट की बाध्यता को हटाकर आन्तरिक विकल्प परीक्षार्थी को देना उचित होगा।
2. परीक्षा की अवधि तीन घंटे के स्थान पर दो घंटे करते हुए प्रश्न पत्र के आनुपातिक रूप से 60% प्रश्न ही हल करने का विकल्प दिया जा सकता है।
3. प्रायोगिक परीक्षाएं 15.04.2021 से आरम्भ की जा सकती हैं।
4. स्वयंपाठी डिग्री एवं डिप्लोमा परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 15.04.2021 से आरम्भ की जा सकती हैं।
5. नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 15.05.2021 से आरम्भ की जा सकती हैं। अन्तिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं से पहले करवाने को प्राथमिकता दी जाये।
6. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की परीक्षाएं प्राथमिकता के आधार पर अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद करवाई जाए।
7. अन्तिम वर्ष की परीक्षा परिणाम आवश्यक रूप से 31.07.2021 तक घोषित किये जाने चाहिए ताकि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अन्यत्र अध्ययन करने अथवा रोजगार प्राप्त करने में कोई विलम्ब न हो।
8. समेस्टर वाले पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का निर्णय विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कर सकते हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उपर्युक्त सुझावों के अनुसार कार्ययोजना बनाकर सक्षम निकाय से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की सलाह दी जाती है।

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा